न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–273/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00133)

1. धर्मपाल पुत्र श्री सुलतान, जाति जाट, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम सांगटेड़ा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. रोहिताश पुत्र भरताराम कपूरिया, जाति जाट, निवासी ग्राम सांगटेड़ा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली, जिला जयपुर के आदेश दिनांक 06.08.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम सांगटेड़ा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1092 कुल रकबा 1.55 हैक्टयर सिवायचक भूमि थी, जिसमें से 0.55 हैक्टयर भूमि अपीलार्थी धर्मपाल पुत्र सल्तान जाट तथा पूरण, शुभराम, रमेश पुत्रान सुलतान को नियमानुसार आवंटित हुई जिस पर उक्त आवंटी काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है, उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1092/1593 डालकर उसे उक्त आवंटियों के नाम से खातेदारी में अंकित कर दिया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार नही है, परन्तु फिर भी उसने उक्त भूमि के राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु दिनांक 31.07.2015 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1092 जिस पर उक्त आवंटियों ने बतरफ पूर्व मकान वगैरहा बना रखे है, उक्त भूमि में ग्राम खेडकी मुक्कड से सांगटेडा तक मनरेगा के तहत सड़क का निमार्ण हो रहा है जिसमें खसरा नम्बर 1092/1593 के पश्चिम दिशा की ओर लगभग 10–15 परिवार बसे हुये है उनके आने–जाने के लिये मान्य कोई रास्ता नही है। अतः आराजी खसरा नम्बर 1092 में से 1092/1593 की तरमीम बतरफ पश्चिम की ओर रास्ते की भूमि छोड़ते हुये की जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने अपीलान्ट को किसी प्रकार को कोई नोटिस एवं सुनवाई का मौका दिये बिना ही दिनांक 06.08.2015 को एक प्रशासनिक आदेश के रूप में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दौराने बहस अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट की सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने बाबत अपनी सहमति दी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने बाबत अपनी सहमति दी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।